न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 134/2019 **दायरा दिनांक : 23.09.2019**

उनवान

मुलचन्द पुत्र बिसना, जाति मीणा, निवासी हरसोली, हाल उत्तम कॉलोनी, बारां जिला बारां राज0

.... अपीलांट

बनाम

1 छीतरलाल पुत्र धन्नालाल, जाति चमार, निवासी हरसोली,
तहसील मांगरोल मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

1/1 गोपालबाई पत्नि छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/2 पानाबाई पुत्र छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/3 बाबूलाल पुत्र छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/4 मुरलीधर पुत्र छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/5 रामप्यारी पुत्री छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2 देवलाल पुत्र गोरू, जाति भील, निवासी हरसोली, तहसील

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

मांगरोल हाल मुकाम रेल्वे स्टेशन के पास, अन्ता, जिला बारां
3 धनपाल पुत्र जग्गा, जाति भील, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल
4 राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मॉगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री महेश प्रकाश गौतम एवं सत्येन्द्र जमोदिया अभिभाषक

अपीलांट की ओर से

श्री बालमुकुन्द गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 06.04.2021**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 27/2015 निर्णय व डिकी दिनांक 08.02.2019 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि <u>वादीगण/रेस्पोडेंट</u> कम 1/1 लगायत 1/5 के पिता श्री छीतरलाल द्वारा एक वाद अधीनस्थ न्यायालय में मूलीलाल पुत्र बिसना एवं रेस्पोडेंट कम 2, 3, 4 के विरूद्ध इस आशय का पेश किया कि वादीगण के खाते की आराजी खसरा नम्बर 12 रकबा 0.11 हेक्टर, खसरा नम्बर 17 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.41 हेक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 0.94 हेक्टर ग्राम हरसोली, तहसील मांगरोल में स्थित है जो वादी के खाते राजस्व रेकार्ड में दर्ज है । जिसका वादी एक मात्र तन्हा खातेदार है । प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 3 के पडोसी काश्तकार है व लडाकू व ताकतवर प्रवृत्ति के व्यक्ति है । प्रतिवादीगण द्वारा वादी

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

की आराजी खसरा नम्बर 17 रकबा 0.42 हेक्टर, खसरा नम्बर 26 रकबा 0.41 हेक्टर ग्राम हरसोली में मेढ़ पर जबरदस्ती ताकत के बल पर हांक लिया है तथा वादी को उसके खाते की आराजी से बेदखल करने पर आमादा हैं जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः अवैध कब्ज हटाकर बेदखल किया जाकर वादी को मौके पर भूमि का कब्जा संभलाया जावे तथा प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि उक्त आराजी में दखलंदाजी न तो स्वयं करें और ना अपने प्रतिनिधियों से करवायें । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खिलाफ कानून, पत्रावली पर मौजूद कानूनी मान्यता प्राप्त तथ्यों साक्ष्य के विपरीत एवं विधि के विपरीत है । छीतरलाल मृतक द्वारा उक्त वाद में प्रतिवादी क्रम 1 मूलीलाल पुत्र बिसना, जाति मीणा, निवासी हरसोली हाल मुकाम गजनपुरा रोड़, बारां को पक्षकार बनाया है इस नाम का कोई व्यक्ति नहीं है इस प्रकार कपटपूर्वक डिक्री पारित की गई है । वाद में लम्बित खसरा नम्बर 26 रकबा 0.41 हेक्टर पर अपीलांट 30 वर्षों से काबिज काश्त है । रेस्पोडेंट छीतरलाल अथवा उसके वारिसान का उक्त आराजी पर कभी कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई सम्मन जारी नहीं हुआ है ना ही कोई सूचना हुई है । अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय में निर्णय की दिनांक को प्रतिवादी क्रम 1 ता 3 की अनुपस्थिति दर्ज कर उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही कर निर्णय प्रदान किया है । अधीनस्थ न्यायालय एक पक्षीय निर्णय पारित किया है । वादी द्वारा अनुतोष नहीं चाहते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट तहसीलदार मांगरोल को खसरा नम्बर 17 व 26 का सीमाज्ञान कराये जाने हेतु भी आदेश प्रदान किया है इससे स्पष्ट है कि वादी को अपनी भूमि का कोई ज्ञान नहीं है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है ।

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 04.07.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा छीतरलाल ने मूलीलाल पुत्र बिसना के खिलाफ पेश किया था । मूलीलाल नाम का कोई व्यक्ति नहीं है । तहसीलदार का कोई जवाब नहीं लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने मूलीलाल बताकर दावा एकपक्षीय कर दिया । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही है । अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अपीलांट द्वारा अपने अपील मेमों में यह कथन किया है कि वादी छीतर लाल मृतक द्वारा वाद में प्रतिवादी क्रम 1 मूलीलाल पुत्र बिसना, जाति मीणा, निवासी हरसोली हाल मुकाम गजनपुरा रोड़, बारां को पक्षकार बनाया है । इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है लेकिन

(महेन्द्र लोढा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त आराजी वादी छीतर लाल पुत्र धन्ना के नाम दर्ज है । इससे मूलीलाल के विरूद्ध वादी द्वारा अगर डिक्री प्राप्त की गई है तो इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ेगा । अपीलांट द्वारा अपने अपील मीमों में लम्बित खसरा नम्बर 26 रकबा 0.41 हेक्टर पर 30 वर्षों से कब्जा काश्त होना बताया है लेकिन इस प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत नहीं किया है जिससे कि उसका कब्जा 30 वर्षों से वादग्रस्त आराजी पर साबित होता हो । रेकार्ड जमाबंदी में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 26 रकबा 0.41 हेक्टर छीतरलाल पुत्र धन्ना वादीगण रेस्पोडेंट के नाम दर्ज है । इससे भी अपीलांट को अपना अधिकार सिद्ध करने का कोई बल नहीं मिलता है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह उचित है, जिसमें हम किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2021 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

डिक्री व सीगे अपील

Jud/Civ
Part IV-4

(ऑ. 41, रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix G'9)

अज अदालत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा मुकाम कोटा

महेन्द्र लोढ़ा, आर.ए.एस. पीठासीन प्राधिकारी, कोटा (राजस्थान)

मुलचन्द पुत्र बिसना, जाति मीणा, निवासी हरसोली, हाल उत्तम कॉलोनी, बारां जिला बारां राज0

.... **अपीलांट**

बनाम

1– छीतरलाल पुत्र धन्नालाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल मृतक जर्ये कायम मुकामान :–

1/1– गोपालबाई पत्नि छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/2– पानाबाई पुत्र छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/3– बाबूलाल पुत्र छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/4– मुरलीधर पुत्र छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

1/5– रामप्यारी पुत्री छीतरलाल, जाति चमार, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल, जिला बारां

2– देवलाल पुत्र गोरू, जाति भील, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल हाल मुकाम रेल्वे स्टेशन के पास, अन्ता, जिला बारां

3– धनपाल पुत्र जग्गा, जाति भील, निवासी हरसोली, तहसील मांगरोल

4– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मॉगरोल, जिला बारां

.... **रेस्पोडेंट**

अपील नं. **134/2019** एवं नाराजगी डिक्री अदालत – **उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल**

मु.द.नं0 **27/2015** निर्णय व डिक्री दिनांक – **08.02.2019**

दावा बाबत

माह अपील व तारीख 24 माह 03 सन् 2021

हाजरी **श्री महेश प्रकाश गौतम एवं श्री सत्येन्द्र जमोदिया** अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट एवं **श्री बालमुकुन्द गुर्जर** अभिभाषक मिनजानिब रेस्पोडेंट

समाअत के लिये पेश होकर हुक्म हुआ कि :–

अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 08.02.2019 यथावत रखा जाता है ।

बाबत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख **06** माह **04** सन् **2021** को जारी किया गया ।

मोहर

(महेन्द्र लोढ़ा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं
राजस्व अपील प्राधिकारी,
कोटा (राज.)